(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III, खंड- 4 में **प्रकाशित**)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 121 **नई दिल्ली**, 28 अप्रैल, 2010

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतत्द्वारा, कांडला पत्तन न्यास में कंटेनर फ्रेट स्टेशन स्थित केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए प्रशुल्क की वैधता को संलग्न आदेशानुसार विस्तार प्रदान करता है ।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/35/2006-सीडब्ल्यूसी (केपीटी)

आ दे श
(मार्च 2010 के 31 वें दिन पारित किया गया)

कांडला पत्तन न्यास (केपीटी) के कंटेनर फ्रेट स्टेशन स्थित केंद्रीय भंडारण निगम द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए वर्तमान प्रशुल्क की वैधता का दिनांक 23 जून 2007 के आदेश के माध्यम से इस प्राधिकरण द्वारा 31 मार्च 2010 तक निर्धारण किया गया था ।

2. प्रशुल्क निर्धारण के प्रयासों में वर्तमान प्रक्रिया के कुछ क्षेत्रों को सुधारने के लिए इस प्राधिकरण द्वारा पारित दिनांक 30 सितम्बर 2009 के आदेश के अनुसार पत्तनों / टर्मिनलों को अपने प्रशुल्क के संशोधन के लिए अपने प्रस्ताव उस वित्त वर्ष की 30 जून 2009 तक दाखिल करने हैं जिसमें प्रशुल्क संशोधन नियत हो जाता है । चूंकि सीडब्ल्यूसी ने 30 जून 2009 तक अपना प्रस्ताव दाखिल नहीं किया था, प्रचालक को हमारे पत्र दिनांक 28 अगस्त 2009 द्वारा सलाह दी गई थी कि वह अपना प्रशुल्क संशोधन प्रस्ताव दाखिल करे । पत्तन ने अभी तक अपने प्रशुल्क के सामान्य संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव दाखिल नहीं किया है ।

3. सीडब्ल्यूसी ने दिनांक 26 नवम्बर 2009 के माध्यम से अन्य बातों के साथ भंडारण प्रभार और भूमि किराया से संबंधित प्रशुल्क के केवल अनंतिम संशोधन के लिए अनुरोध किया है । सीडब्ल्यूसी द्वारा की गई प्रस्तुतियों की जाँच-पड़ताल चल रही है । किसी भी स्थिति में, वर्तमान प्रशुल्क की वैधता 31 मार्च 2010 को समाप्त हो जाएगी और यह जरू री हो गया है कि वैधता इस तिथि से आगे बढ़ाई जाए ।

4. उपरोक्त के प्रकाश में, सीडब्ल्यूसी द्वारा प्रचालित, केपीटी स्थित सीएफएस के वर्तमान प्रशुल्क की वैधता 30 सितम्बर 2010 अथवा सीडब्ल्यूसी द्वारा दाखिल किए जाने वाले प्रस्ताव पर संशोधित प्रशुल्क के क्रियान्वयन की प्रभावी तिथि तक, इनमें से जो भी पहले हो, विस्तारित करता है । सीडब्ल्यूसी को निदेश दिया जाता है कि वह प्रशुल्क संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव तुरंत दाखिल करे ।

5. 1 अप्रैल 2010 के बाद वाली अवधि में, ग्राह्य लागत और अनुमेय प्रतिलाभ से अधिक किसी भी अतिरिक्त अधिशेष को निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में समायोजित किया जायेगा ।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष